(152)

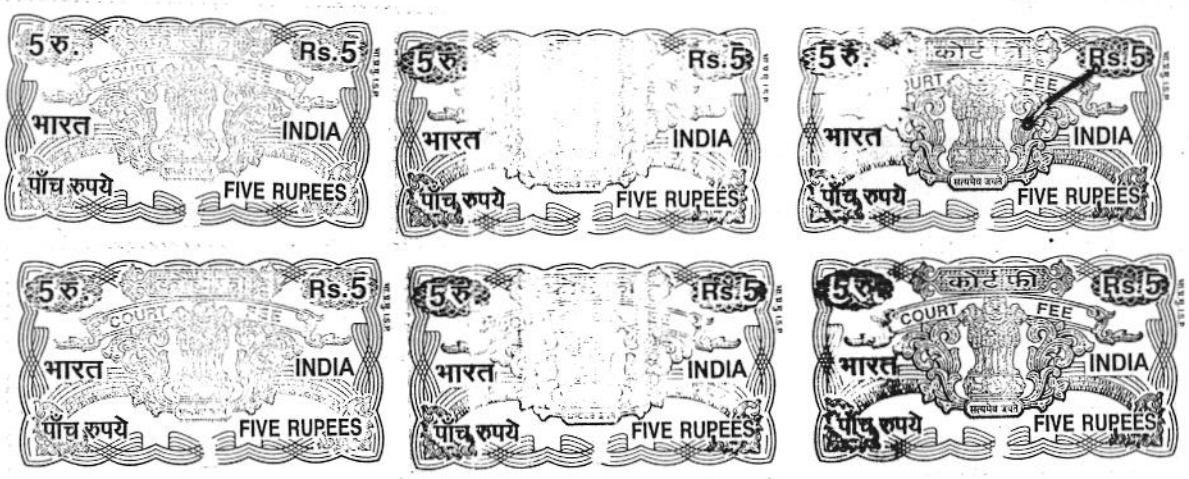

समक्ष माननीय अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन

प्रकरण क. ~~/2018 द्वितीय~~ अपील – 5092/2018/उज्जैन/भू.रा.

अपीलार्थी रामचंद्र पिता दयाराम आयु 55 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम जरखोदा तह व जिला उज्जैन

विरूद्ध

आयुक्त आचार्य अधि.
23/07/18

रिस्पोन्डेन्ट्स मृतक बद्रीलाल के उत्तराधिकारी

1. मानकुंवर बाई पति स्व. श्री बद्रीलाल
2. नीता पिता स्व. श्री बद्रीलाल
3. श्यामलाल पिता स्व. श्री बद्रीलाल
4. कु. रानी दुर्गावती पिता स्व. श्री बद्रीलाल
5. विशाल पिता स्व. श्री बद्रीलाल

निवासीगण – ग्राम बामोरा तह व जिला उज्जैन

न्यायालय तहसीलदार उज्जैन के प्र. क. 0012/अ–70/16–17 धारा 250 भू–राजस्व सहिता के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03.01.18 से असंतुष्ट होकर श्रीमान् अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण क. 65/अपील/2017–18 को निरस्त कर पारित आदेश दिनांक 20.07.18 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

अपीलार्थी कि और से निम्नलिखित अनुसार द्वितीय अपील स्मरण पत्र प्रस्तुत है –

प्रकरण क संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ग्राम जरखोदा पटवारी हल्का न. 16 वर्तमान हल्का क 24 तह व जिला उज्जैन स्थित कृषि भूमि सर्वे क. 101/1 रक्बा 0.750 हैक्टर वार्षिक लगानी 2.75 रिस्पोन्डेन्ट् बद्रीलाल के पिता श्री प्रतापजी को बंटवारे के आधार पर एकमेव स्वामित्व मे प्राप्त हुई थी इस कारण उनका नाम उपरोक्त भूमि के स्वामी के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे पिछले लगभग 50 वर्षो से दर्ज है किन्तु श्री प्रतापजी द्वारा उनके हिस्से मे प्राप्त कृषि भूमि पर खुद काश्त नही की गई तथा श्री प्रतापजी लगभग 50 वर्ष पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि को छोड़कर उनके परिवार सहित ग्राम बामोरा तह व जिला उज्जैन जाकर स्थाई रूप से निवास करने लगे तथा श्री प्रतापजी के स्थान

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5092/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलान्ट की ओर से यह अपील अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को न होकर आयुक्त न्यायालय को है। दर्शित परिस्थिति में यह अपील अपीलार्थी को वापिस की जाए। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	